

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या- 08-परीक्षा/2022

सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/08

ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि – 21-11-2022

ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि – 14-12-2022

शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि– 21-12-2022

विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 14-12-2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 14-12-2022 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात दिनांक 21-12-2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2022, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/08 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त 1262 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/08 हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 (Preliminary Eligibility Test- PET-2021) के स्कोर के आधार पर की जाएगी, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 (Preliminary Eligibility Test- PET-2021) में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड (वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ) जारी किया गया है। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 में वास्तविक (Absolute) स्कोर अथवा नार्मलाइस्ड स्कोर में शून्य या उससे कम / नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन (Under Investigation-UI) व औपबन्धिक (Provisional) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबन्धिक रूप से अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्टिंग व चयन संबन्धी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम / निर्णय के अधीन होगी।

1- ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना- इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

४०

७३५८

१

✓

१- आवेदन की प्रक्रिया-

अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के **Homepage** पर **Live Advertisement Segment** के अंतर्गत संबन्धित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को **Download/View** कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भलीभांति समझ लें।

आवेदन प्रक्रिया संबन्धी निर्देश

2.1- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण/ लॉगिन (Applicant Authentication/Login Through PET Registration Number)- अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test-PET-2021) के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं-

- I. **व्यक्तिगत विवरण के साथ (Through Personal Details)-** अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण (Domicile) व श्रेणी (Category) सम्बन्धी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं।
- II. **ओटीपी के माध्यम से (Through O.T.P.)-** अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ ईमेल पर प्रेषित किये गये O.T.P. के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।

2.2 आवेदन (Application)-

- I. लॉगिन करने के उपरान्त इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 में दर्ज की गयी अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण, श्रेणी, EWS, क्षैतिज आरक्षण से संबन्धित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे।
नोट- जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23) हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है (कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 12.25 का अवलोकन करें)।
- II. इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) से सम्बन्धित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबन्ध में Yes/No विकल्प का चयन करने के उपरान्त बोर्ड/संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट/ रोल नं0, अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबन्धी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा।

मेरा

गोपा

१

ख

- III. अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) पढ़ लें तथा योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें।
- IV. अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर “Enter Verification Code” में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात “सबमिट” बटन पर क्लिक करना होगा। फार्म सबमिट होते ही “अभ्यर्थी का आवेदन पत्र” प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंको का रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित अन्य विवरण होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित अवश्य कर लें, जिसका उपयोग भावी कार्यों हेतु किया जायेगा।

2.3 फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature)- इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी, फोटो तथा हस्ताक्षर View करने के उपरान्त “Continue” बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

2.4 अन्य विवरण (Other Details)- इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के संबंध में Yes/ No विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इसके उपरान्त अभ्यर्थी को एक घोषणा (Declaration) से सहमत होना होगा।

घोषणा (Declaration)

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि घोषणापत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो सभी बिन्दुओं को Tick करते हुए नीचे दिये गये वेरिफिकेशन कोड को दर्ज कर Save & Proceed करें।

अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में दर्ज विवरण तथा इस आवेदन के समय अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता संबंधी अंकित की गयी समस्त प्रविष्टियों/ विवरणों को प्रीव्यू (Preview) पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। सहमति की दशा में अभ्यर्थी द्वारा Proceed to Payment of Fee & Final Submission पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी।

2.5- फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)

I- अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये तत्काल कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता। शुल्क का सफल भुगतान होते ही Payment Acknowledgment Receipt (PAR) Generate होगी जिसमें Payment का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाईं तरफ प्रिंट बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी Payment Acknowledgment Receipt (PAR) को प्रिंट कर सकता है। इसी पृष्ठ पर दाहिनी तरफ Proceed To Download and Print The Application Form बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना फार्म अन्तिम रूप से Submit कर सकता है तथा उसका एक Printout भी ले सकता है।

गुरु

गुरु

१

ख

II- यदि अभ्यर्थी द्वारा Credit card/Debit card, Internet Banking द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु शुल्क का समायोजन न हो पाने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थी Homepage पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए लिंक “**Update Your Transaction ID by Double Verification**” पर क्लिक कर अपने शुल्क का समायोजन अवश्य कर लें।

III- ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID By Double Verification Mode** के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।

IV- अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन पत्र का Printout अवश्य निकाल लें। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन का Printout नहीं लिया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकेगा।

V- यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाते हैं तो वह शुल्क जमा करने की अवधि में मुख्य पृष्ठ पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Fee Deposition** पर क्लिक कर Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

VI. अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त के अतिरिक्त **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

VII. अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क का स्टेटस Pending होने पर अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID By Double Verification Mode** के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

VIII - अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त शुल्क जमा नहीं कर पायेंगे और न ही अपना आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट कर सकेंगे।

IX. आवेदन शुल्क – अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गयी तालिका में अंकित है। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये जाने की दशा में शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा।

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
1	अनारक्षित/ सामान्य	00	25.00	25.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	25.00	25.00
3	अनुसूचित जाति	00	25.00	25.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।

३५

५००५८

११

५५

- मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क (जैसा कि आयोग/शासन द्वारा निर्धारित किया जाए) का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।

2.6- फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त उसका प्रिन्ट आउट **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर जाकर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए लिंक “**Update Your Transaction ID by Double Verification**” पर क्लिक कर शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने शुल्क का समायोजन कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं।

3- आवेदन पत्र में संशोधन

I. अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी को संबन्धित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित **Modify Application** बटन पर क्लिक कर वेरीफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरान्त अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ Email पर एक OTP (One Time Password) जायेगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फार्म प्रदर्शित होगा।

II. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी-

- नाम में वर्तनी की गलती।
- पिता/ पति के नाम में वर्तनी की गलती।
- पत्राचार का पता।
- अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे- E.W.S. एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी (D.F.F, Ex. Service Man, P.H., उत्कृष्ट स्विलाड़ी आदि)।
- जाति की श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)।
- लिंग (जेन्डर)।
- आवेदन में अनिवार्य/अधिमानी अर्हता सम्बन्धी दर्ज किया गया विवरण।

विशेष नोट- उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99 टी0सी0, दिनांक 30-07-2021 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह-क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिह्नांकन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की उपश्रेणी को चिह्नांकित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है।

३०८८

III. आवेदन पत्र में अनुमन्य संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 21-12-2022 तक ही किया जा सकता है। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4- पदों का विवरण-

निम्नलिखित सारिणी-1 में विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है-

सारिणी-1

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैंड/ वेतनमान /ग्रेड-पे	आयु (न्यूनतम-अधिकतम) वर्षों में।	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
					अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	
1	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र०	कनिष्ठ सहायक (उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संर्वां)	वेतन बैंड, ₹०-५२००-२०२००, ग्रेड पे ₹०-२०००/- मैट्रिक्स लेवल-३	18-40	460	242	23	309	114	1148	अस्थायी
2	उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, 30प्र०	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैंड, ₹०-५२००-२०२००, ग्रेड पे ₹०-२०००/- मैट्रिक्स लेवल-३	18-40	55	15	04	29	11	114	स्थायी
कुल योग					515	257	27	338	125	1262	

- 4.1- उपर्युक्त रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।
- 4.2- अभिलेख परीक्षण के समय अभ्यर्थियों को विभागों की वरीयता प्रस्तुत की जानी होगी।
- 4.3- आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हतायें अवश्य पढ़ लें तथा यह सुनिश्चित कर ले कि वे आवेदित पद हेतु आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/ अर्हताएं धारित करते हैं तथा उपर्युक्त सारणी में पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं।
- 4.4- अभ्यर्थी को आवेदन करते समय आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/ अर्हताएं धारित (Acquired) Yes/No करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- 4.5- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों अध्यादेशों /शासनादेशों में निर्धारित /नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- 4.6- उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।

5- क्षैतिज आरक्षण का विवरण –

उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित रिक्त पदों के सापेक्ष विभाग द्वारा क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत श्रेणीवार रिक्तियों का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है -

सारिणी-2

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन					महिला	सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमाणितस्थकीय अंगधात, उपचारीत कुछ, बौनापन, ऐसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्प्राण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता:	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता:, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता:	(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता:, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता: के लिए अभिज्ञानित पदों में बहिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
1	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ३०प्र०	कनिष्ठ सहायक (३०प्र० चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग)	22	15 (LV)	15 (HH)	15 (CP/AAV/ DW/LC/OL /OA)	00	00	229	57	22
2	उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, ३०प्र०	कनिष्ठ सहायक	02	01 (LV)	01 (HH)	02 (OA, OL, DW, LC, AAV)	00	00	22	05	02
कुल पद			24	16	16	17	00	00	251	62	24

नोट-1- उपर्युक्त सारणी में श्रेणीवार पदों का विवरण विभाग द्वारा अवधारित रिक्तियों के अनुसार ही रखा गया है।

नोट-2- क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख संबन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन के अनुसार ही किया गया है।

वि

उमायू

१८

५

- 5.1- विभाग द्वारा की गई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की गणना उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/95, दिनांक- 20-09-1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार की गयी है।
- 5.2- विभाग द्वारा सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की गणना उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/99-टी०सी०-२, दिनांक 09-09-1999, संख्या-18/1/95-का-2/95, दिनांक-20-09-1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार की गयी है।
- 5.3- शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021/78/99 टी०सी०, दिनांक 30.07.2021 द्वारा शासनादेश संख्या-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13-01-2011 को अवक्रमित (निरस्त) करते हुए लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समूह-“क”, “ख”, “ग” एवं “घ” श्रेणी के पदों का पुनर्विहांकन किया गया है। उक्त शासनादेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, ३०प्र० के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के पद हेतु दिव्यांगजनों हेतु एल०वी०, एच०एच०, ओ०ए०, ओ०एल०, एल०सी०, सी०पी०, डी०डब्लू० तथा ए०ए०वी० उपश्रेणी चिन्हांकित हैं तथा उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, ३०प्र० के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के पद हेतु दिव्यांगजनों हेतु एल०वी०, एच०एच०, ओ०ए०, ओ०एल०, एल०सी०, डी०डब्लू० तथा ए०ए०वी० उपश्रेणी चिन्हांकित हैं।
- 5.4- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या-18(1)/95-का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-३९ रिट/का-२ /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-४७५/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित हैं। उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 5.5- उपर्युक्त सारणी-१ व २ में श्रेणीवार पदों की संख्या संबन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।
- 5.6- अधिसूचना संख्या-३/४७/का-२/२०२२, दिनांक ०७-०१-२०२२ के प्राविधानानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु रिक्तियों का ०२ प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 5.7- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबन्धी नवीनतम अधिनियमों, अध्यादेशों / शासनादेशों में निर्धारित नीति-निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- 5.8- रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

6 - अर्हतायें-

अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवानियमावली, 2014 दिनांक 22-सितम्बर, 2014 के भाग-चार के अंतर्गत नियम-१० के अनुसार सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं-

- 1- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो।
- 2- हिन्दी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है।
- 3- डी०ओ०इ०ए०सी०सी० सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर प्रचालन में सी०सी०सी० प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र।

७१८

अधिमानी अर्हता-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवानियमावली, 2014 दिनांक 22-सितम्बर, 2014 के भाग-चार के अन्तर्गत नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने-

- 1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- 2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

7- आयु -

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवानियमावली, 2014 दिनांक 22-सितम्बर, 2014 के भाग-चार के अन्तर्गत नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ प्रकाशित की जायें, पहली जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

8- आरक्षण-

- 8.1- ३० प्र० की अनुसूचित जातियों, ३० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, ३० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 8.2- इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा— उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक/ दिव्यांगजनों/ महिला तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विद्यमान अद्यावधिक अध्यादेश/ अधिनियम/ शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 8.3- आरक्षण / आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिणाम में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा।

9- चयन का आधार (केवल लिखित परीक्षा)-

प्रश्नगत पदों पर चयन सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015, दिनांक 11 मई, 2015 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या -4/2017/1/1/2017-का-2-दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 व उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो) तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवानियमावली, 2014 के अनुसार की जाएगी।

मेरि

मान्य

१



10- परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम-

परीक्षा योजना

प्रथम चरण-

वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा –

65 अंक

परीक्षा के विषय, अधिकतम अंक और दिया गया समय नीचे दिये गये विवरण के अनुसार होगा ।

क्रमांक	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	समयावधि
भाग-1	हिन्दी परिज्ञान और लेखन योग्यता	60	30	एक घण्टा तीस मिनट की अवधि का संयुक्त प्रश्नपत्र
भाग-2	सामान्य बुद्धि परीक्षण	30	15	
भाग-3	सामान्य जानकारी	40	20	
	कुल योग	130	65	

नोट- उपर्युक्त परीक्षा हेतु निगेटिव (ऋणात्मक अंक दिये जाने का प्राविधान है, जो सही प्रश्न के अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् $\frac{1}{4}$ होगी ।

पाठ्यक्रम

भाग-1 हिन्दी परिज्ञान और लेखन योग्यता

उम्मीदवारों से हिन्दी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछें जायेंगे । (यह प्रश्नपत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 के हाईस्कूल परीक्षा के स्तर का होगा)

भाग-2 सामान्य बुद्धि परीक्षण

इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है । इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे, जो अनुदेशों को समझने, सम्बन्धों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे ।

भाग-3 सामान्य जानकारी

प्रश्नपत्र का यह भाग उम्मीदवारों की चारों ओर के वातावरण के बारे में उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता के आंकने के लिए है । इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जायेंगे जिनसे ऐसी समसामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों जिनमें ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य सम्मिलित हो सकते हैं (विशेषकर भारत से सम्बन्धित) एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आंका जा सके, जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है ।

द्वितीय चरण- टंकण परीक्षा कम्प्यूटर/लैपटॉप पर होगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी ।

(केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए चयन के लिए विचार किया जायेगा, जिन्होंने, यथा स्थिति टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो ।)

(क) शैक्षिक अर्हता के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किये जायेंगे :-

क्र. सं.	शैक्षिक अर्हता	प्राप्त अंकों का प्रतिशत	प्रदान किये जाने वाले अंक
1.	इंटरमीडिएट	साठ प्रतिशत और इससे ऊपर	20 अंक

पृष्ठा

७३

१

X

		पैंतालीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम	15 अंक
		तैतीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम	10 अंक
2.	स्नातक अवधि	साठ प्रतिशत और इससे ऊपर	10 अंक
		पैंतालीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम	08 अंक
		तैतीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम	05 अंक

(ख) किसी खिलाड़ी को अधिकतम पांच अंकों के अध्यधीन निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा :-

एक	यदि अभ्यर्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो	05 अंक
दो	यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो	04 अंक
तीन	यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो	03 अंक
चार	यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो	02 अंक

कनिष्ठ सहायक के पद पर चयन उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ “उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवानियमावली, 2014” में विहित भाग-5 भर्ती की प्रक्रिया के अंतर्गत नियम-17 के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा

65 अंक

टंकण परीक्षा- अर्हकारी प्रकृति की होगी।

शैक्षिक अर्हता के आधार पर अधिकतम अंक -

खिलाड़ी को अधिकतम -

30 अंक प्रदान किये जायेंगे।

05 अंक प्रदान किये जायेंगे।

योग-35

कुल योग -प्रथम चरण +द्वितीय चरण(65+35)=100

परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जाएगा।

11-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

11.1- यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट/ दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों/ दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों/ दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के Normalization की प्रक्रिया लागू होगी।

11.2- कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों, अंतिम कटऑफ अंक/परसेंटाइल स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जाएगा।

गु

७७१४८

४

४

12-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

12.01-उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

12.02-एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।

12.03-अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।

12.04-भूतपूर्व सैनिक (जो आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) तथा उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के उत्कृष्ट खिलाड़ी को उक्त श्रेणियों का लाभ प्राप्त करने हेतु पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12.05-उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री, स्वयं उसे अथवा उसके परिवार को सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, को इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमन्य होगा।

12.06-ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।

12.07-ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अद्यतन प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।

12.08-जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।

12.09-राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र०शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

12.10- अभ्यर्थी के अर्ह / अर्नह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12.11-उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।

12.12- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या-18(1)/95-का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थायों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन

ग्री

ग्रामी



होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत् श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

12.13- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

12.14- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।

12.15- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।

12.16- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

12.17- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

12.18- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

12.19- कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

12.20- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।

12.21- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।

12.22- किसी अनाचार्य/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।

12.23- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट <http://upssc.gov.in> के माध्यम से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

12.24- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

12.25- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (E.W.S) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23) हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है।

12.26- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

12.27- अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस संबन्ध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा।

३०

मान्य

~~सचिव, १०/१०८~~
सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

परिशिष्ट

उम्रो की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी नाम सुपत्र/ सुपुत्री श्री नाम
 निवासी ग्राम तहसील जाति के अनुसूचित है जिसे संविधान
 जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के अनुसूचित है जिसे संविधान
 (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जिला के सभी सभ्य), पर भाषणित द्वारा, अधिकारी (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1957 के अनुसार अनुसूचित
 जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा अधिका उनका परिवार उत्तर प्रदेश के जिला
 ग्राम तहसील नगर में सामान्यता रहता है। हस्ताक्षर
 स्थान पूरा नाम
 दिनांक पद का नाम
 मुहर जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी बिजिस्ट्रेट/ परमना भिजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/
 अन्य वेतन भोगी भिजिस्ट्रेट यदि कोई हो/ जिला सभाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी तहसील नगर सुपत्र/ सुपुत्री श्री नाम
 निवासी ग्राम तहसील जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ जाति के अनुसूचित है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़ वर्गों ने लिये आखण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत गान्यवा प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ग्राम तथा/अधिका उत्तर प्रदेश के ग्राम पूर्णा अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जिला के उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आखण) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आखण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संरोक्षित की गयी है, ये आचारित नहीं हैं। इनके मात्र-पिता की निवास जीव वर्ग के लिये सकल वार्षिक आय ८ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा तो अधिक सामृद्धि भी नहीं है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा/अधिका उत्तर प्रदेश के ग्राम
 तहसील नगर जिला में सामान्यता रहता है। हस्ताक्षर
 स्थान पूरा नाम
 दिनांक पद का नाम
 मुहर जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी बिजिस्ट्रेट/ परमना भिजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

दिव्यांगता प्रमाणपत्र सम्बन्धी प्रारूप

**Form-II
Certificate of Disability**

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ (DD/MM/YY) _____ Date of Birth _____ Age _____ years, male/female _____ registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____ whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- * locomotor disability
- * dwarfism
- * blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate
_____	_____	_____

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr.)

(Dr.)

(Dr.)

Member

Medical Board, with seal

Member

Medical Board, with seal

Chairperson

Medical Board with seal

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Form - III
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No. _____ Date: _____
 This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum.
 son/wife/daughter _____ of Shri _____
 Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____
 years, male/female _____

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____
 Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____

, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (....., number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			

17.	Multiple sclerosis		
18.	Parkinson's disease		
19.	Haemophilia		
20.	Thalassemia		
21.	Sickle Cell disease		

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows :-

In figures : percent

In words : percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued

Form -IV
Certificate of Disability
(In cases other than those mentioned in Forms II and III)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only) of
the person with
disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined:

Shri/Smt/Kum.

son/wife/daughter of Shri.

Date of Birth (DD/MM/YY)

**Age _____ years, male/female _____ Registration No. _____
permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____**

Post Office _____ District _____ State _____

whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) _____

② - eg. Left/Right/both arms/legs

③ - eg. Single eye/both eyes

④ - eg. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
-------------------------	-------------------------	----------------------------------

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued

उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी	निवासी	प्राप्त
तदसील नगर	विलासी	अतृप्रदेश

जनक सेना (शासीक रूप से विकलाग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतृष्ण सेनेक के लिए प्राप्तकर्ता) अधिनियम 1983 के अनुभाग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (यादित) दूत/ पत्री/ बाच/ श्रीमती विवाहित/ अविवाहित उपरान्ति अधिनियम 1993 के दी प्राक्षणों के अनुसार उज्ज्वला श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

हस्ताक्षर	पूरा नाम
रुद्रानंद	मुद्रा
दिनांक	विलासीनामी
	संलग्न

कशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ०प्र० के मूल निवासी हैं

सारांशनामा संख्या-22/21/1983-कार्यक्रम-2 दिनांक 26 नवम्बर, 1985

प्रमाण-पत्र के अंकमात्र - 1 से 4

प्राप्तप - 1

(भान्याता प्राप्त क्रीड़ा/ खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/ राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम	सर्व उचित की सेवाओं/ पर्नों पर
नियुक्तिके लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र	नियुक्ति

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी	भान्याता श्री	निवासी
मुख्य पता	ने दिनांक	तथा
मुख्य पता	दिनांक	(स्थान का नाम) में अधियोगिता/ दूनोंनंद में देश की ओर से भाग लिया।

उनके द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ दूनोंनंद में स्थान प्राप्त किया गया।

इह प्रमाण-पत्र चान्द्रीय फेडरेशन/ राष्ट्रीय एसोसिएशन/ (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये)	में उत्तराखण्ड रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
--	--

स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	नाम

संलग्न का नाम	मुद्रा
---------------	--------

संलग्न का नाम	मुद्रा
---------------	--------

नोट: यह प्रमाण-पत्र नेशनल कॉर्डरमन/ नेशनल ऐसोसिएशन के संबंध मुख्य व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही वाल्य होता।

प्रारूप-२

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेशीय एसोसिएशन की ओर से सांकेतिक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सांवधित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) उपर्युक्त संघकार की संघर्षी/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आमज्ञा/ पत्नी/आल्जिजा श्री निवासी (पुरुष पत्नी) ने दिनांक से दिक्षित तक (क्रीड़ा/खेल-कूट का नाम) की प्रतियोगिता (दूर्घाटन स्थान का नाम) अधिकारी कानूनी दोष के द्वारा-उपर्युक्त प्रतियोगिता/दूर्घाटन में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान इसकाधार नाम दिनांक वर्ष संस्था का नाम पता मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूट संघ के सचिव क्षमता व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-३

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अर्तविद्यविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम उपर्युक्त संघ की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आमज्ञा/ पत्नी/आल्जिजा श्री निवासी (पुरुष पत्नी) ने दिनांक से दिक्षित तक (क्रीड़ा/खेल-कूट का नाम) की विद्यार्थी ने दिनांक से दिक्षित (क्रीड़ा/खेल-कूट का नाम) प्रतियोगिता/दूर्घाटन में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके द्वारा उक्त प्रतियोगिता/दूर्घाटन में विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान इसकाधार नाम दिनांक वर्ष संस्था का नाम पता मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के छान ऑफ लोर्डेन्स या इक्वल-खेल-कूट हांग व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-४

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने रक्कूल की ओर से सांकेतिक इन्ड्राक्षर-खेल-बूद में गांग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्टर ऑफ पर्सनल इन्ड्राक्षर-निदेशक, रिक्षा, उत्तर प्रदेश उपर्युक्त स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आमज्ञा/ पत्नी/आल्जिजा श्री निवासी (पुरुष पत्नी) ने दिनांक से दिक्षित तक (स्थान का नाम) में अधिकारी स्थूलों के वेशभूत भौमक की (क्रीड़ा/खेल-कूट का नाम) की प्रतियोगिता/दूर्घाटन में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके द्वारा उक्त प्रतियोगिता/दूर्घाटन में व्यापक नियम गये।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्टर ऑफ पर्सनल इन्ड्राक्षर-निदेशक, रिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान इसकाधार नाम दिनांक वर्ष संस्था का नाम पता मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अधिकारी/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्टर ऑफ पर्सनल इन्ड्राक्षर-निदेशक/रिक्षा लाप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

संत्रिय

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

(प्रपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी


पुत्र/पति/पुत्री नाम/कर्मस्वा.....

पोस्ट ऑफिस थाना

तहसील ज़िला राज्य

पिन कोड के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अधिक्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित ज़गरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित ज़गरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।



हस्ताक्षर (कार्यालय का मुख्य सहित)

पूर्ण नाम

पदनाम

ज़िलाधिकारी/अंतिरिक्त ज़िलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।